संख्या-216/2019/491/35-3-2019-1(43) /2017

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 07 जून, 2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-पीलीभीत हेतु स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं हेतु तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-पीलीभीत में शासनादेश सं0-56/2016/1365/35-3-2016-1(43)/2015, दिनांक 19 जुलाई, 2016 द्वारा ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के कार्यो हेतु रू0 711.41 लाख की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए उनके लिए केन्द्रांश के सापेक्ष, प्रथम किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख की धनराशि तथा शासनादेश सं0-17/2017/35-3-2017-1(43)/2015,दिनांक 30 अगस्त, 2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 350.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय, धनराशि रू. 61.41 लाख (रू. इक्सठ लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तो के अधीन परियोजनावार आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखण्ड का नाम	क्र. सं.	परियोजना का नाम	वास्तविक रूप से व्यय की गई जी.एस.टी.की धनराशि जिसकी वित्तीय स्वीकृति 2019-20 में जारी किया जा रहा है।			
		कार्यदायी संस्था -उ0प्र0 जल निगम	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
पूरनपुर	1	बूंदीभूड़ व बन्दरबोझ ग्राम पेयजल योजना	248.35	100.00	126.94	21.41
पूरनपुर	2	नौजल्हा ग्राम पेयजल येाजना	249.48	100.00	129.48	20.00
पूरनपुर	3	महराजपुर ग्राम पेयजल परियोजना	213.58	100.00	93.58	20.00
		कुल योग	**711.41**	**300.00**	**350.00**	**61.41**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- संदर्भित शासनादेशसं.-56/2016/1365/35-3-2016-1(43)/2015 दिनांक 19 जुलाई 2016 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा तृतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के कार्यो हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा ।

3- अवमुक्त धनराशि के व्यय उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तत डिजाइन/डराइग एवं तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन वित्त विभाग के शासनादेश सुनिश्चित किया जायेगा ।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम -102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- 216/2019/491/(1)/ 35-3-2019-1(39)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद,उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय)इलाहाबाद ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

8- संयुक्त निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय

9- बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

8- कोषाधिकारी,पीलीभीत 1

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग 5-।

10- उप निदेशक, लखनऊ (अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल ।

11- अर्थ एवं संख्याधिकारी,पीलीभीत ।

12- राज्य योजना आयोग।-

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।